

of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952 provides for penalties to such person/persons who contravene/s or makes default in complying with any of the Provisions including the provision that relate to non-extension of benefits to eligible employees under the Provident Fund Scheme.

(b) to (d). As reported by the Employees' Provident Fund Authorities, the main activity of the Dandakaranya Development Authority is rehabilitation of refugees and, as such, it does not fall under any of the Scheduled heads to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 at present applies. However, the Central Workshop of the Project at Ambajuda has been covered under Scheduled Head "Automobile Servicing and Repairing" with effect from May, 1966. The establishment disputed the applicability initially, but, began compliance from November, 1970 in respect of work-charged employees of the workshop. The Regional Provident Fund Commissioner, Orissa issue notice under Section 7A of the Act for determination of the dues for the period 5/66 to 10/70. The establishment, has deposited the employers share of contribution for the period 3/67 to 10/70 and has expressed its inability to pay the dues for the period 5/66 to 2/67 in the absence of records for that period.

The establishment has also pleaded for waiver of the employer's share from 5/66 to 2/67 and employees' share from 5/66 to 10/70 as no deductions were made from wages for employees' contribution. Their request is under examination of Regional Provident Fund Commissioner.

Revision of Bills of Property/House Tax in South Zone of Delhi Municipal Corporation

6782. SHRI HARIKESH BAHADUR:
SHRI RAM VILAS PASWAN:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of bills relating to payment of pro-

perty/house taxes for the year 1980-81 and arrears bills of past years in respect of rented out properties in South Zone of Delhi Municipal Corporation, Green Park, New Delhi, have been revised on the basis of standard rent in view of the recent judgement of the Supreme Court and revised bills sent to the assesseees for payment; and

(b) if so, the number and details of these properties?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b). The Municipal Corporation of Delhi has intimated that 494 general objections for the year 1980-81 filed by the assesseees for the revision of assessment of their properties in accordance with the Supreme Court Judgement were considered by the Corporation. The requests for re-assessment on the basis of standard rent under Section 6 of the Rent Control Act, 1958 were considered and not found acceptable to the Corporation as the assesseees failed to produce documentary evidence as regards the aggregate amount of the reasonable cost of construction and the market price of the land comprised in the premises on the date of commencement of the construction as provided under Section 6(2)(b) of the Delhi Rent Control Act, 1958. Accordingly, assessment were made as provided under Section 9 of the Delhi Rent Control Act, 1958. The details of the properties, locality-wise, are given in the statement laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT 2330/81].

प्रवीण एण्ड कम्पनी, एम० पी० ट्रेडिंग क०
आदि बम्बई को ग्रौर कर्मचारी भविष्य
निधि को बकाया राशि

6783. श्री राम सिंह शास्त्र्य : क्या
श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवीण एण्ड कम्पनी, एम०
पी० ट्रेडिंग कम्पनी, एस० पी० पी० एण्ड कम्पनी,
जे० आई० बिल्डर्स, 148/162 करता क्रास

खेन, बम्बई को अभी भी कर्मचारी भविष्य निधि की बहुत बड़ी राशि जमा करानी है ;

(ख) यदि हां, तो इनमें से, प्रत्येक कम्पनी की ओर कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) यदि ये कम्पनियां उक्त राशि जमा नहीं कराती हैं, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

अम संत्रालय से राज्य संत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरण ने सूचित किया है कि माननीय सदस्य द्वारा दिए गए पते पर ऐसी कम्पनियां नहीं हैं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

पाराद्वीप लैम्प वर्क्स लिमिटेड, पटना की और कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

6784. श्री रामावतार शास्त्री : क्या अम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में पटना सिटी में पाराद्वीप लैम्प वर्क्स लिमिटेड, बागमपुर में पांच सौ से अधिक ऐसे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जिनके वेतन से कर्मचारी भविष्य निधि का अंशदान काटा जाता है ;

अबधि निम्नलिखित के संबंध में बकाया राशि

	कर्मचारी भविष्य निधि (रुपयों में)	परिवार पेंशन निधि (रुपयों में)	कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा निधि (रुपयों में)
3/77 से 2/81 तक नियोजक का हिस्सा	415332.75	42708.00	16186.50
1/81 से 2/81 तक कर्मचारियों का हिस्सा	2924.25	1474.25	—

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि यह राशि कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जमा नहीं कराई जाती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस कम्पनी के मालिकों की ओर इस मद में लाखों रुपये से भी अधिक की राशि बकाया है ;

(घ) यदि हां, तो यह राशि वसूल करने और इसे भविष्य निधि खाते में जमा कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) दोषी मालिकों को किस प्रकार का दंड दिया गया है ?

अम संत्रालय से राज्य संत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) मैसर्स पाराद्वीप लैम्प वर्क्स में 468 कर्मचारी हैं, जिनमें से 467 भविष्य निधि के सदस्य हैं और उनके वेतनों से भविष्य निधि के अंशदान काटे जाते हैं।

(ख) इस प्रतिष्ठान के नियोजक ने मार्च, 1977 से फरवरी, 1981 की अवधि के लिए नियोजक अंशदान और जनवरी, 1981 तथा फरवरी, 1981 के लिये कर्मचारियों का अंशदान जमा नहीं कराया है।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि परिवार पेंशन निधि और कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा अंशदानों के व्योरे, जो नियोजक के पास बकाया है, नीचे दिए गए हैं :—